न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार (RAS)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 05/2025 दर्ज दिनांक : 26.05.2025

सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा बनाम उर्मिला देवी वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल. आर. एक्ट. 1956

निर्णय दिनांकः 27/04/25

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार पावटा के पत्र क्रमांक भू.अ./24/3038 दिनांक 124.10.2024 के द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओ के निराकरण हेतु ग्राम **कैरोड़ी** तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज.) के खसरा नम्बर 2777/0.26 में से 0.0054, 2776/0.03 में से 0.0012, 2773/0.23 में से 0.0066, 2775/0.25 में से 0.0061, 2774/0.24 में से 0.014, 2771/0.35 में से 0.0105, 2770/0.69 में से 0.0225, 2769/0.51 में से 0.0220, 2768/0.33 में से 0.01, 2759/0.51 में से 0.01, 2767/0.24 में से 0.0084, 2765/0.64 में से 0.01 हैक्ट0 भूमि खातेदारी भूमि में मौके पर चालू रास्ते के रूप में काम आने से राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने हेतु के संबंध में राजस्व विभाग (राजस्व/ग्रुप–6) राजस्थान सरकार के परिपत्र : प. 3 (2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया है। उक्त खसरा नम्बर नक्शा में दर्शित अनुसार आम रास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है तथा रास्ता सार्वजनिक आम रास्ते के रूप में उपयोग में आ रहा है। अतः उक्त रास्ते को राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप–6) राजस्थान जयपुर के परिपत्र : प 3 (2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड आम रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। संबंधित खातेदारान की तामिल करवाई गई। खातेदारान/अप्रार्थीगण गिरधारी, राजेन्द्र, फौजूसिंह, जगरूपसिंह, बनवारीसिंह, नरपतसिंह, की और से अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह उपस्थित आकर वकालतनामा व चालू रास्ते फोटोग्राफ पेश कर रास्ते के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद सहमति प्रदान की। खातेदार अमरसिंह, कबूलसिंह, नरेन्द्र व राजेन्द्र ने उपस्थित आकर आदेशिका पर हस्ताक्षर कर प्रार्थना के समर्थन में अपनी सहमति प्रदान की। खातेदार/अप्रार्थीगण रविन्द्र, अनिता, मोहब्बतसिंह, धल्ली देवी, सरती देवी, सुरता देवी, बादामी देवी, गुलाबचन्द, धर्मेन्द्र, नन्दकिशोर, मोहनलाल, रोशनसिंह, भीमसिंह, सुभाष, निरू वर्मा की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश निमोरिया व जीतू नैनावत ने वकालतनामा पेश किया। शेष अप्रार्थीगण बाद तामिल अनुपस्थित रहे। बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। खातेदार/अप्रार्थी धर्मेन्द्र की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश निमोरिया ने जवाब पेश किया जो निम्नानुसार है कि आपने अपने नोटिस में जो तथ्य अंकित किये है वह गलत है स्वीकार नही है, प्रार्थीगण रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतू सहमत नही है। खसरा नम्बरान 2759, 2765, 2767 लगायत 2771, 2773 लगायत 2774 की भूमि प्रार्थीगण की कब्जे शुदा भूमि कदीमी से है तथा उक्त भूमि में कोई रास्ता नही है तथा प्रार्थीगण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग है एवं गरीब परिवार से है तथा उक्त भूमि को काश्त करके अपना एवं अपने परिवार का पेट पालते है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की बुजुर्गान के समय से कब्जे काश्तकारी जमीन है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

इस प्रकार आपके द्वारा जारी किया गया नोटिस कतई अवैध, कानून के विपरित व प्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गर्ज से दिया गया है उक्त भूमि में ना तो पहले कभी रास्ता रहा है तथा ना ही आज है। जो व्यक्ति रास्ता मांग रहा है उसके लिए पूर्व में अन्य रास्ते है। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि उक्त नोटिस की कार्यवाही को ड्रोपड किये जाने की कृपा करे।

जिसके प्रत्युत्तर में वादी/तहसीलदार पावटा के द्वारा जवाब उल जवाब पेश किया गया है जो निम्न भांति है कि उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा के यहां विचाराधीन है। खसरा नम्बर 2777, 2776, 2775, 2773, 2774, 2771, 2770, 2769, 2768, 2767, 2759, 2765 मौजा कैरोड़ी में से रास्ते का प्रस्ताव धारा 132, 132 एल.आर.एक्ट. 1956 के तहत एवं राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60,60एच,66,86 तथा राजस्व(ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के तहत सार्वजनिक हित एवं कदीमी सार्वजनिक रास्ता होने पर दिनांक 24.10.2024 को उक्त नियमों के तहत रास्ता दर्ज करने हेतू प्रस्ताव श्रीमान को भिजवाया गया था। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्ताव पूर्ण मौका निरीक्षण कर मौके पर रास्ते चालू होने एवं रास्ते के सार्वजनिक हित एवं बारहमासी होने पर ही प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया था। अप्रार्थी का यह कथन की मौके पर रास्ता चालू नही है बेबुनियाद एवं तथ्यों से परे है। धारा 132, 132 एल.आर.एक्ट. 1956 के तहत एवं राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60,60एच,66,86 तथा राजस्व(ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के तहत सार्वजनिक हित एवं कदीमी सार्वजनिक रास्ता होने पर खातेदारी में भी मौके पर रास्ता होने पर दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। अप्रार्थी का यह कथन कि उक्त भूमि उनकी खातेदारी भूमि है इसमें रास्ता दर्ज नही किया जा सकता बेबुनियाद एवं तथ्यों से परे है। अप्रार्थी महज उक्त जवाब के आधार पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में से रास्ते का अंकन ही चाहते है ताकि सार्वजनिक हित व लोकहित के रास्ते को बन्द किया जा सके एवं आवागमन अवरूद्ध किया जा सके। उक्त रास्ते के प्रस्ताव एवं निर्णय से खातेदारों की भूमि कम नही की जाती है रास्ते की भूमि उनकी खातेदारी में ही रहेगी केवल सार्वजनिक एवं लोकहित को ध्यान में रखते हुए मौके पर कदीमी रास्ते के आधार पर किस्म परिवर्तन किया जाता है। अतः जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि सार्वजनिक हित एवं लोकहित के तहत रास्ते के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया उचित है। उभयपक्षो की बहस सुनी गई। तहसीलदार पावटा ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अभिलेख निरीक्षक, मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी, रास्ते के गूगल इमेज के फोटोग्राफ इत्यादि पेश किये। खातेदारान/अप्रार्थीगण के द्वारा चालू रास्ते के फोटोग्राफ पेश किये हैं। प्रकरण के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो यह साबित होना पाया गया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू होना साबित होता है।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित आराजीयात में मौके पर रास्ते के रूप में रास्ता चालू होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि मौके पर भूमि रास्ते के ही काम आ रही है, साथ ही तहसीलदार पावटा की रिपोर्ट में राजस्व रिकार्ड मे रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा की है। अतः ग्राम कैरोड़ी तहसील पावटा के खसरा नम्बर 2777/0.26 में से 0.0054, 2776/0.03 में से 0.0012, 2773/0.23 में से 0.0066, 2775/0.25 में से 0.0061, 2774/0.24 में से 0.014, 2771/0.35 में से 0.0105, 2770/0.69 में से 0.0225, 2769/0.51 में से 0.0220, 2768/0.33 में से 0.01, 2759/0.51 में से 0.01, 2767/0.24 में से 0.0084, 2765/0.64 में से 0.01 हैक्ट0 भूमि आम कदीमी रास्ता के रूप में काम आ रही है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

अप्रार्थी का यह कथन कि रास्ते मौके पर चालू नही है के संबंध में कोई ऐसा तथ्य पेश नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि मौके पर सडक/आम रास्ता बना हुआ नहीं है। जबकि खातेदार/अप्रार्थीगण के द्वारा पेश रास्ते के फोटोग्राफ तथा तहसीलदार द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं जवाब उल जवाब से यह तय हो चुका है कि रास्ता मौके पर कदीमी से चालू है। चूंकि भूमि की किस्म परिवर्तित हो चुकी है। अतः न्यायालय भूमि की किस्म मौके अनुसार रिकार्ड में परिवर्तित किया जाना न्यायसंगत है। यह भी कि राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक : प 3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 जारी कर निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्थायी रास्ते जो राजकीय/निजी भूमियों मे से चालू है, किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है, तथा ऐसे स्थायी सार्वजनिक रास्ते जो बाहरमासी है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं है तथा आमजन के आने–जाने हेतु उपलब्ध है, ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60H, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार किया जावेगा। अतः ग्राम कैरोड़ी तहसील पावटा के खसरा नम्बर 2777/0.26 में से 0.0054, 2776/0.03 में से 0.0012, 2773/0.23 में से 0.0066, 2775/0.25 में से 0.0061, 2774/0.24 में से 0.014, 2771/0.35 में से 0.0105, 2770/0.69 में से 0.0225, 2769/0.51 में से 0.0220, 2768/0.33 में से 0.01, 2759/0.51 में से 0.01, 2767/0.24 में से 0.0084, 2765/0.64 में से 0.01 हैक्टेयर भूमि की किस्म गैरमुमकीन रास्ता अंकित किया जावे तथा शेष भूमि पूर्वानुसार खातेदारी में यथावत दर्ज रहे।

आदेश

प्रार्थी, राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पावटा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम **कैरोड़ी** में स्थित खसरा नंबर 2777/0.26 में से 0.0054, 2776/0.03 में से 0.0012, 2773/0.23 में से 0.0066, 2775/0.25 में से 0.0061, 2774/0.24 में से 0.014, 2771/0.35 में से 0.0105, 2770/0.69 में से 0.0225, 2769/0.51 में से 0.0220, 2768/0.33 में से 0.01, 2759/0.51 में से 0.01, 2767/0.24 में से 0.0084, 2765/0.64 में से 0.01 हैक्टेयर भूमि नक्शा में दर्शित अनुसार की किस्म गैरमुमकीन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम किया जावे तथा शेष भूमि की किस्म पूर्वानुसार खातेदारी में यथावत दर्ज रहे। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 27/06/25 को सुनाया गया।

(कपिल कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा, कोटपूतली–बहरोड़